कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

।। आदेश ।।

कमांक/ 4111 /एडीएम/2020 जांजगीर, दिनांक 20 अप्रैल, 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश कमांक/3957/एडीएम/स्टेनो/2020 दिनाक 19.03.2020, आदेश कमांक/101/एडीएम/स्टेनो/2020 दिनांक 22.03.2020 एवं आदेश कमांक/122/एडीएम/स्टेनो/2020 जांजगी, दिनांक 31.03.2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अतर्गत धारा 144 लागू की गई थी। कार्यालयीन आदेश कमांक/134/एडीएम/स्टेनो/2020 दिनांक 14 अप्रैल 2020 के द्वारा दिनांक 03 मई 2020 तक धारा 144 लागू की गई है।

महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र कमांक एफ–1–26/2020/17–1 दिनांक 13.03.2020 के अतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों, आदेश कमांक/117/एडीएम/स्टेनो/2020 दिनाक 27.03.2020 संशोधित आदेश कमांक/103/एडीएम/ स्टेनो/2020 दिनांक 22.03.2020 एवं आदेश कमांक/4045/स्टेनो/2020 दिनांक 24.03.2020 आदेश कमांक/122/एडीएम/स्टेनो/2020 दिनांक 31.03.2020 आदेश कमांक/ 124/ स्टेनो/ 2020 जांजगीर, दिनांक 09.04.2020 तथा आदेश कमांक/134/ एडीएम/स्टेनो/2020 दिनांक 14 अप्रैल 2020 के तहत कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं इत्यादि को छूट दी गई है।

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, रायपुर के पत्र कमांक/189/सा.प्र.वि./2020 दिनांक 16.04.2020 एवं पत्र कमांक/195/सा.प्र.वि./2020 दिनांक 20.04.2020 के द्वारा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश कमांक 40–3/2020–DM-1(A) दिनांक 15.04.2020 तथा दिनांक 16.04.2020 के संदर्भ में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति देते हुए निर्देश जारी किये गये है। अतः गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य मे निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :–

1. **लॉकडाउन को बढ़ाये जाने के साथ 3 मई 2020 तक निम्न गतिविधिया प्रतिबंधित रहेगी:–**

   i. सभी घरेलू एवं अंर्तराष्ट्रीय विमान सेवाओं के आवागमन, छूट:: पैरा –4 में उल्लेखित उद्देश्यो हेतु तथा सुरक्षागत कारणों से

   ii. यात्री रेल के माध्यम से आवागमन छूट : सुरक्षागत कारणों से

   iii. बसों के माध्यम से परिवहन

   iv. मेट्रो रेल सेवाएं,

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

20/4/2020
जिला दण्डाधिकारी
जांजगीर - चाम्पा (छ.ग.)

D:\DHAARA-144.doc86

Scanned with CamScanner

v. व्यक्तियों का अंर्तराज्यीय एवं अंर्तजिला परिवहन छूटः चिकित्सीय कारणों से एवं इन निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त गतिविधियों हेतु

vi. सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेगे।

vii. इन निर्देशों के अंतर्गत विशिष्ट अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक एं वाणिज्यिक गतिविधियां बंद रहेगी।

viii. इन निर्देशों के अंतर्गत विशिष्ट अनुमति प्राप्त गतिविधियों छोडकर सभी हास्पीटिलिटी सेवाएं बंद रहेगी।

ix. टैक्सी (आटोरिक्शा एवं साइकिल रिक्शा सहित) तथा कैब एग्रीगेटर ऐवाएं

x. सभी सिनेमा हाल, शॉपिंग काम्लेक्स, मॉल, जिम, खेलकुद काम्पलेक्स, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, नाटकशाला, बार एवं संभागार, असेम्बलीहॉल एवं इस प्रकार के स्थान।

xi. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनैतिक/खेल–कूद/शैक्षिक/मनोरंजन / सांस्कृतिक /धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन।

xii. सभी धार्मिक स्थल/पूजा के स्थल जनसाधारण के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सामूहिक कार्यकम प्रतिबंधित रहेंगे।

xiii. अन्त्येष्ठि/अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।

2. 20 अप्रैल 2020 से चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियां :–

i. जनता की समस्याओं को कम करने हेतु चिन्हित अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति 20 अप्रैल से होगी। जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए इन चिन्हित अतिरिक्त गतिविधियों को कियान्वित कराया जायेगा। इन चिन्हित अतिरिक्त गतिविधियां की अनुकत देने से पूर्व जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यालयों, कार्यस्थलों, फैक्ट्रीयों एवं अन्य स्थापनों में सोशल डिस्टेंस एवं अन्य तैयारी संबंधी व्यवस्था निर्धारित प्रकिया (एसओपी) अनुसार हो गई हो।

ii. इन समेकित संशोधित दिशा–निर्देशों के निम्न पैरा 4 से 20 में इन चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियों की जानकारी दी गई।

3. लॉकडाउन दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन :–

i. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जारी इन दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाये तथा इनमें किसी प्रकार की ढील न दी जाये।

ii. स्थानीय आवश्यकतानुसार इस दिशा–निर्देशों में दिये गये प्रावधानों को जिला दण्डाधिकारी द्वारा और अधिक कठोर किया जा सकता है।

4- सभी स्वास्थ्य सेवाएं शासकीय एवं निजी (आयुष सहित) चालू रहेगी जैसेः–

i. अस्पताल,नर्सिंग,होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सुविधाएं (समय बंधन से छूट)

जिला दण्डाधिकारी 2020

Scanned with CamScanner

ii. डिसपेंसरी दवा दुकान, कैमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधी केन्द्र सहित) एवं मेडिकल इक्युपमेंट दुकान (समय बंधन से छूट)

iii. मेडिकल लैब एवं कलेक्शन सेंटर (समय बंधन से छूट)

iv. दवा एवं चिकित्सीय रिसर्च लैब, कोरोना वायरस रिसर्च कर रहे संस्थान

v. वेर्टनरी अस्पताल, डिसपेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, दवा एवं टीकों की बिक्री एवं सप्लाई (समय बंधन से छूट)

vi. अधिकृत निजी संस्थान जो कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम में आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हो जैसे– होमकेयर, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेवाएं, सप्लाई चेन जो अस्पतालों में सहयोगी सेवाएं दे रहे हो।

vii. दवा, मेडिकल डिवाईस, मेडिकल ऑक्सीजन निर्माण युनिट तथा इनकी पैकेजिंग , कच्चा माल एवं अंतरिम उत्पाद बनाने वाली ईकाईयां।

viii. स्वास्थ्य /मेडिकल अधोसंरचना का निर्माण, एम्बुलेंस निर्माण

ix. अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर सभी चिकित्सीय एवं वेर्टनरी मानव संसाधन, वैज्ञानिक , डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ लैब टेक्निशियन एवं अन्य अस्पताल सेवाओं के व्यक्तियों का आवागमन एव एम्बुलंस का आवागमन।

5. **कृषि एवं संबंधित गतिविधियां :–**

A. सभी कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियां संपूर्णतः संचालित रहेंगी जैसे:–

i. किसानो द्वारा कृषि गतिविधियां तथा कृषि मजदूरों द्वारा खेत में कृषि कार्य

ii. न्यूनतम उर्पाजन मूल्य उपार्जन में सम्मिलित एजेन्सीयों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेन्सीया

iii. मंडी बोर्ड द्वारा सचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडिया एवं उपमंडिया , किसानों या किसानों के समूह (एफपीओ) से निजी क्षेत्र द्वारा सीधे कृषि उत्पाद कय प्रकिया ग्राम स्तर से विकेन्द्रीकृत कय–विकय

iv. कृषि मशीनरी विकय , इससे संबंधी स्पेयर पार्ट एवं मरम्मत की दुकान (सप्लाई चेन) खुली रहेगी

v. कृषि मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेन्टर

vi. खाद उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विनिर्माण , वितरण एवं विकय

vii. फसल बोआई एवं कटाई के संबंध में कम्बाईन्ड हार्वेस्टर तथा अन्य कृषि /हार्टीकल्चर मशीनरी उपकरणों का राज्य के भीतर एवं अंर्तराज्यीय परिवहन

viii. वनक्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य बनवासियों द्वारा लघुवनोपज / गैरकाष्ठवन उत्पाद का संग्रहण, हार्वेस्टिंग तथा प्रसंस्करण

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

D:\DHAARA-144.doc88

20/04/2020

Scanned with CamScanner

B. मछली पालन – निम्न गतिविधियां संचालित रहेगी:–

i. मछली पालन संबधी समस्त गतिविधिया /एक्वाकल्चर उद्योग (जल कृषि) पूरक आहार प्रदाय एवं मरम्मत , मत्स्य उत्पादन , प्रसंस्करण कोल्डचेन , विकय एवं मार्केटिंग

ii. हैचरी, पूरक आहार उत्पादनयुनिट, व्यवसायिक उत्पादन,

iii. मछली /झींगा के भंडारण एवं परिवहन, मछली बीज/पूरक आहार एवं इन सभी गतिविधियों से जुड़े हुए श्रमिक

C. पशुपालन संबंधी निम्न गतिविधियां संचालित रहेंगी:–

i. दूघ एव दूध उत्पादों के दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेंजिंग से लेकर वितरण/बिकी तक सप्लाई चेन

ii. पशु फार्म कुक्कुट पालन एवं हैचरी तथा पशुपालन गतिविधियां

iii. जानवरों के चारे का निर्माण संबंधित युनिट कच्चे माल की आपूर्ति जैसे: मक्का एवं सोया

iv. पशु गृह जैसे – गौशालाओं का संचालन

6. वित्तीय क्षेत्र : निम्नानुसार संचालित रहेगा:–

i. भारतीय रिजर्व बैंक, तािा रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय मार्केट एवं संस्थाएं जैसे : NPCl; CCIL पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर तथा एकल प्रायमरी डीलर

Ii. बैंक शाखाएं तथा एटीएम, बैंकिंग सेवाओं हेतु आई.टी. वेन्डर, बैंक मित्र तथा ए.टी.एम.संचालन व केश मैनेजमेंट एजेसीया

a बैंक शाखाओं को सामन्य कार्य दिवस में निर्धारित घंटो तक कार्य करने की अनुमति जब तक डीबीटी की राशि का आहरण पूर्ण हो।

b स्थानीय प्रशासन बैंक शाखाओं तथा बैंक मित्रों को सोशल डिस्टेशिंन कानुन व्यवस्था तथा व्यवस्थित रूप से नगदी आहरण हेतु सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये।

iii. सेबी द्वारा अधिसूचित सेवाएं

iv. बीमा सेवाएं/बीमा कंपनियां

v. गैर–बैकिंग वित्तीय संस्थान (एनवीएफसी) जैसे :– गृह निर्माण फाईनेंस कम्पनी तथा माइको फाईनेंस संस्थान, न्युनतम स्टॉफ सहित

vi. सहकारी ऋण सोसायटियां

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

20/4/2020
जिला दण्डाधिकारी
जांजगीर - चाम्पा (छ.ग.)

D:\DHAARA-144.doc89

Scanned with CamScanner

7. सामाजिक क्षेत्रः निम्नानुसार संचालित रहेगा :-

i. समाज कल्याण आवासीय संस्थाएं जो बच्चों/निःशक्तजन/मानसिक रूप से निः शक्त/बेघर/वरिष्ठ नागरिक/महिलाओ/विधवाओं की देख-रेख हेतु संचालित हो,

ii. आबजरवेशन होम, आफ्टर केयर होम तथा किशोर गृह

iii. सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था न्युनतम स्टॉफ सहित, EPFO द्वारा पेंशन एवं प्रॉविडेन्ट फंड की सेवाएं

iv. आंगनबाड़ियों का संचालन- खाद्य पदार्थ एवं पोषण सामग्री का हितग्राहियों जैसे कि बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवति महिलाओं को द्वार प्रदाय के माध्यम से 15 दिन में एक बार वितरण, परंतु हितग्राही आंगनबाड़ी में उपस्थित नहीं होगे।

8. ऑनलाईन शिक्षण/डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए :-

i. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेगे।

ii. यद्यपि न संस्थानों से यह अपेक्षित है कि वह शैक्षणिक कार्य ऑनलाईन माध्यम से जारी रखे।

iii. शैक्षणिक कार्य हेतु दूरदर्शन एवं अन्य एजुकेशनल चैनलों का उपयोग अधिक से अधिक किया जाए।

9. मनरेगा कार्यो की अनुमति होगी :-

i. सोशल डिस्टेंसिंग तथा चेहरे पर मास्क के अनिवार्य पालन के साथ मनरेगा कार्यो की अनुमति होगी।

ii. मनरेगा के अंतर्गत सिंचाई तथा जल संरक्षण के कार्यो का प्राथमिकता दी जाए।

iii. अन्य केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र की योजनाओं का कियान्वयन जारी रह सकता है तथा मनरेगा के साथ अभिसरण उपयुक्त रूप से किया जा सकता है।

10. पब्लिक यूटिलिटी : निम्न सेवाएं संचालित रहेंगी :-

i. ऑयल एवं गैस क्षेत्र. के कार्य जैसे कि रिफाईनिंग, परिवहन, वितरण, भंडारण एवं खुदरा बिकी उदाहरण स्वरूप पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी इत्यादि। (समय बंधन से छूट)

ii. केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर विद्युत का उत्पादन, पारेशण तथा वितरण।

iii. डाक सेवाएं, डाक घर सहित।

iv. जल प्रदाय, साफ-सफाई एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र की सेवाएं स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि के माध्यम से

जिला दण्डाधिकारी
जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

D:\DHAARA-144.doc90

.../4/2020
जिला दण्डाधिकारी

Scanned with CamScanner

v. टेलीकाम एवं इंटरनेट सेवाओं को प्रदाय करने वाले सेवा प्रदाताओं का संचालन

11. राज्यों के भीतर एवं अंतर्राज्यीय माल परिवहन तथा उसकी लोडिंग व अनलोडिंग की निम्नानुसार अनुमति होगी :–

i. समस्त माल परिवहन की अनुमति होगी।

ii. रेलवे सेाओं में माल एवं पार्सल ट्रेन संचालित होंगे।

iii. सभी मालवाहक ट्रक एवं अन्य वाहनों को अधिकतम 2 वाहन चालक तथा 1 सहायक के साथ संचालन की अनुमति होगी बशर्ते वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस हो। माल डिलीवरी उपरांत खाली ट्रक को लौटने की तथा माल भरने हेतु जाने की अनुमति होगी।

iv. ट्रकों के रिपेयर की दुकानें तथा राजमार्गों पर ढाबे सोशल डिस्टेंस सहित संचालित हो सकेंगी।

v. रेलवे, एयरपोर्ट/एयरकार्गो, बंदरगाह/जहाज, शुष्क बंदरगाह, इनलेण्ड कंटेनर डिपों में कार्यरत अधिकारी–कर्मचारी तथा ठेका श्रमिकों को इन संस्थाओं के अधिकृत प्राधिकारी के अनुरोध पर स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार र आने–जाने की अनुमति होगी।

12. आवश्यक सामग्रियों के वितरण की अनुमति निम्नानुसार होगी :–

i. आवश्यक सामग्रियों के सप्लाई चेन से संबंधित सभी इकाईयो, विनिर्माण, खुदा एवं थोक में वितरण/बिक्री से संबंधित सभी दुकानों/गोदामों, डिपार्टमेंटल स्टोर तथा ई–कामर्स कंपनियां के संचालन हेतु, सोशल डिस्टेंस मेनटेन करने की शर्त पर, समय–सीमा के बंधन के बिना संचालन की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण – गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM=1(A) दिनाक 19.04.2020 के माध्यम से पूर्व में अनुमति प्राप्त अतिरिक्त गतिविधियों में शामिल पैरा 14 (V) ई–कामर्स कंपनिया, ई–कामर्स कंपनियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों को स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर संचालन की अनुमति को विलोपित किया गया है।

ii. दुकानें (किराना दुकान एवं आवश्यक सामग्रियों का विक्रय कर रही एकल दुकाने सहित), ठेले, एवं राशन दुकानें (पीडीएस सहित) जो खाद्य, एवं रोजमर्रा उपयोग की वस्तुएं (साबुन, हाथ धोने की सामग्री, बॉडीवाश, सैनिटाईजर, वाशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, बैटरी सेल, चार्जर, शैम्पू, टिशुपेपर, सैनिटरी नैपकिन एवं पैड इत्यादि) फल एवं सब्जी, दूध एवं डेयरी उत्पाद विक्रय बूथ, पोल्ट्री, मीट, अण्डे, मछली, पशुचारा इत्यादि विक्रय कर रही हो उनको सोशल डिस्टेस मेनटेन करने की शर्त पर संचालन की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण – कई स्थानों से दूध से निर्मित खाद्य पदार्थो की दुकानों के खुलने के संबंध में भ्रांति होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस संबंध में स्पष्ट

Scanned with CamScanner

किया जाता है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM=1(A) दिनाक 15.04.2020 के पैरा 6 D (i) में दूध एवं दूध उत्पादों के दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग से लेकर वितरण/बिक्री तक सप्लाई चेन के संचालन संबंधी अनुमति का स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार निर्देशो के पैरा 13(II) में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की दुकानों के संचालन हेतु अनुमति है। अतः इस संबंध में खाद्य पदार्थों, दूध एवं दूध उत्पादों जैसे, खोया, पनीर, दही इत्यादि की बिक्री हेतु दुकानों को सचालन की अनुमति पूर्व से प्राप्त है।

क्र.	संस्थान/दुकानों का विवरण	खोलने एवं बंद होने का समय/स्थिति
1	सभी मंडिया, दुकान व ठेले (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली, अण्डा, कृषि मशीनरी विक्रय एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकाने, खाद/उवर्रक/कीटनाशक एवं बीज विक्रय, पशु चारा (चौपाया, मछली चारा)	प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
2	डेलीनीड्स, बेकरी, किराना, आटा चक्की, मोबाईल रिचार्ज एवं रिपेयरिंग एवं चश्मा दुकान एवं अन्य छूट प्राप्त संबंधित दुकानें	प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
3	मिल्क पार्लर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक

iii. जिला प्रशासन लोगों को घर से बाहर न निकलने को प्रोत्साहित करने के लिए होम डिलीवरी को बढावा दे सकता है।

13. वाणिज्यिक एवं निजी संस्थानों को संचालन की अनुमति निम्नानुसार होगी :–

i. प्रिंट एवं इलेक्टानिक मीडिया, प्रसार, डीटीएच एवं केबल टीवी सेवाएं

ii. आई.टी.एवं आई.टी.आधारित सेवाएं अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति पर

iii. शासकीय गतिविधियों हेतु डाटा एवं कॉल सेन्टर

iv. शासन द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत स्तर पर सीएससी केन्द्र

v. ई–कामर्स कंनियां, ई–कामर्स कंपनियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों को स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर संचालन की अनुमति होगी।

vi. कुरियर सेवायें

vii. कोल्ड स्टोर एवं भंडार गृह सेवाएं बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, कंटेनर डिपो, उत्पादन ईकाईयां अथवा लाजिस्टिक्स चेन में अन्य स्थानों पर

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जाँजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी
जाँजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

viii. निजी सुरक्षा सेवाएं एवं कार्यालयय एवं रहवासी कालोनियों के संधारण सुरक्षा हेतु फेसिलिटी मेनेजमेंट सेवायें

ix. होटल, होमस्टे, लॉज, मोटल जो कि फसे हुए व्यक्तियों/पर्यटकों मेडिकल तथा आवश्यक सेवाओं वाले स्टॉफ हेतु संचालित हो

x. स्वतः कार्य करने वाले व्यक्तियों जैसे कि इलेक्ट्रीशन, प्लम्बर, मोटर मेकेनिक, आईटी रिपेयर, बढ़ई इत्यादि की सेवायें **(प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक)**

स्पष्टीकरण – गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के पैरा 14;एद्ध में स्वतः कार्य करने वाले व्यक्तियों जैसे कि मोबाइल रिचार्ज एवं रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, आईटी रिपेयर, बढ़ई को कार्य हेतु अनुमति प्राप्त है। इन व्यक्तियों द्वारा उनसे संबंधित उपकरणों जैसे – मोटर, पंखा, कुलर इत्यादि के बिजली के सामान एवं अन्य सुसंगत सामाग्रियों के मरम्मत कार्य इत्यादि हेतु सेवाएं दी जा सकती है।

14. उद्योगों/औद्योगिक संस्थानों (शासकीय एवं निजी संस्थानों) को निम्नानुसार संचालन की अनुमति होगी :–

i. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अर्थात नगरीय निकायों की सीमा के बाहर संचालित उद्योगों को संचालन की अनुमति होगी

ii. ऐसे औद्योगिक इकाईयों जो निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों जैसे इंडस्टीयल इस्टेट में स्थित हों तथा जिनमें व्यक्तियों के आने–जाने पर नियंत्रण रखा जा सके। ऐसे उद्योगो में कार्यरत श्रमिकों को यथासंभव उनके उद्योग के परिसर के भीतर अथवा लगे हुए स्थानों/भवनो में ही रखने की व्यवस्था इन निर्देशों के पैरा–21(ii) में निर्धारित एसओपी अनुसार करनी अनिवार्य होगी। इन श्रमिकों के आने–जाने की व्यवस्था संबंधित उद्योगों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए की जाएगी।

iii. ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो आवश्यक सामग्रियों, दवाईयों, मेडिकल उपकरण, दवाओं के कच्चे माल इत्यादि का उत्पादन करती हो को अनुमति होगी।

iv. खद्य प्रसंसकरण इकाईयां जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अर्थात नगरीय निकायों की सीमा के बाहर हो

v. उतदन इकाईयां जिनमें उत्पादन प्रकिया प्रकार की हो एवं उनका सप्लाई चेन

vi. आईटी हार्डवेयर उत्पादन इकाई

vii. कोयला उत्पादन, खनन, खनिज परिवहन एवं खनिज उत्पादन से जुड़ी विस्फोटक सप्लाई एं अन्य सहायक गतिविधियों

viii. पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली उत्पादन इकाईयां

D:\DHAARA-144.doc93

22/4/2020
जिला दण्डाधिकारी

Scanned with CamScanner

ix. जूट आधारित उत्पादन इकाईयां, सोशल डिस्टेंस के पालन तथा पृथक–पृथक पाली में उत्पादन की शर्त पर

x. तेल एवं गैस फिाईनरी/एक्सप्लोरेशन

xi. ईट भट्ठे जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अर्थात नगरीय निकायों की सीमा के बाहर हो

अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमे ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों) सीमेट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान इन सभी को छोड़कर अन्य उद्योग/औद्योगिक संस्थान प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक संचालित होंगे।

15. निम्न निर्माण गतिविधियों संचालन की अनुमति होगी :–

i. ग्रामीण क्षेत्र में अर्थात नगरीय निकायों की सीमा के बाहर सड़क निर्माण, सिंचाई, परियोजना, भवन निर्माण, जल प्रदाय एवं स्वच्छता, विद्युत ट्रांमिशन लाईनों का निर्माण, दूरसंचार हेतु ऑपटिकल फाईवर एवं केबल डालने का कार्य एवं सभी प्रकार के उद्योग (एमएसएमइ सहित) निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुमति होगी तथा सभी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र निर्माण की परियोजनाओं में अनुमति होगी।

ii. नवीकरणीय उर्जा संबंधी परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति होगी

iii. नगरीय निकायों की सीमा के भीतर ऐसी निर्माण परियोजनाएं जहां पर श्रमिक साईट पर उपलब्ध हो तथा बाहर से लाने की आवश्यकता न हो।

16. निम्नानुसार व्यक्तियों के आने–जाने की अनुमति होगी :–

i. अपातकालीन सेवाओं जैसे मेडिकल, एमरजेंसी, वेर्टनरी एवं आवश्यक सामग्री कय हेतु निजी वाहनों की अनुमति होगी। चौपहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा केवल पीछे की सीट में एक सवारी बैठाने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहनों में केवल चालक को ही अनुमति होगी।

ii. छूट प्राप्त श्रेणियों एं अनुमति प्राप्त क्षेत्र के व्यक्तियों को जिला प्रशासन द्वारा निर्देशानुसार कार्यस्थल से निवास तक परिवहन की अनुमति होगी

17. भारत सरकार के कार्यालय, भारत सरकार की अधीनस्थ संस्थाओं/स्वायत्त संस्थाओं के कार्यालय निम्नानुसार खुलेंगे :–

i. रक्षा, केन्दीय पुलिस बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन एवं अरली वारनिंग एजेंसियों, एन.आई.सी. एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र एवं सीमा शुल्क कार्यालय बिना किसी बाधा के कार्य करेगे।

ii. अन्य मंत्रालयों एवं विभागों एवं अधिनस्थ संस्थाओं के कार्यालय उपसचिव एवं उच्चतर स्तर के अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति तथा उससे

20/4/2020
जिला दण्डाधिकारी
जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

निम्न स्तरों के अधिकारियों एवं स्टाफ के 33 प्रतिशत उपस्थिति के स्तर के साथ संचालित रहेंगे।

18. राज्य सरकार के कार्यालय, राज्य सरकार की अधीनस्थ संस्थाओं/स्वायत्त संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के कार्यालय निम्नानुसार खुलेंगे :–

i. पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल नगरीय निकायों की सेवायें बिना किसी बांधा के संचालित होंगी।

ii. राज्य सरकार के अन्य विभागों एवं अधीनस्थ संस्थाओं के कार्यालय के संबंध में पूर्व में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आवश्यक लोक सेवाओं के प्रदाय को सुनिश्चित किया जाएगा।

iii. जिला प्रशासन एवं कोषालय (जिसमें सम्मिलित है महालेखाकार के मैदानी कार्यालय) सीमित स्टॉफ सहित संचाति रहेंगे यद्यपि लोक सेाओं के प्रदाय को सुनिश्चित किया जाएगा तथा इस हेतु आवश्यक स्टॉफ तैनात किया जाएगा।

iv. वन कार्यालयः चिड़ीया घर, नर्सरी, वन्यप्राणी, वनों में अग्निशमन, वनों में पेट्रोलिंग हेतु आवश्यक वाहन/मानव संसाधन सहित

19- अनिवार्य क्वारंटीन में व्यक्तियों को रखने हेतु निर्देश निम्नानुसार है :–

i. ऐसे व्यक्तियों जिनकों घर/निर्धारित स्थल पर एक निर्धारित अवधि हेतु स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा स्वास्थ्य अमले के माध्यम से क्वारंटीन में निर्देशित किया गया हो।

ii. व्यक्तियों जिनके द्वारा क्वारंटीन का उल्लंघन किया जाए वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 अतर्गत कार्यवाही के भागी होगे।

iii. क्वारंटीन में रखे गये व्यक्तियों, जो 15 फरवरी 2020 के उपरांत अन्य देशों से भारत आये, को निर्धारित क्वारंटीन अवधि की समाप्ति उपरांत तथा कोरोना वायरस टेस्ट में निगेटिव आने पर मुक्त करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित एसओपी अनुसार मुक्त किया जावे।

20. उपरोक्त लॉकडाउन आदेशों के पालन हेतु निर्देश :–

i. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोरोना वायरस कोविड–19 के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराया जाना है। इन निम्न निर्देशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों तथा स्थापनाओं पर विधि अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानानुसार अर्थदण्ड तथा दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी–

सार्वजनिक स्थल –

a. सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा।
b. सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिये जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

जिला दण्डाधिकारी
जांजगीर-चाम्पा

Scanned with CamScanner

c. कोई भी संस्था/सार्वजनिक स्थल का प्रबंधक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नहीं देगा।

d. विवाह एवं अंत्येष्टि जैसे आयोजनों के लिये व्यक्तियों के एकत्रित होने संबंधी व्यवस्था जिला दण्डाधिकारी द्वारा विनियमित किया जायेगा।

e. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदण्ड के साथ दण्डनीय होगा।

f. शराब, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि के विक्रय पर कड़ा प्रतिबंध होगा एवं थूकने पर सख्त प्रतिबंध होगा।

कार्यस्थल –

g. समस्त कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर सैनिटाईजर की व्यवस्था करनी होगी।

h. कार्यस्थलों पर प्रत्येक पाली के मध्य 1 घंटे का अंतराल रखा जाए एवं सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिये कर्मचारियों के भोजन अवकाश के मध्य अंतराल रखा जाए।

i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिनको कोई सह–रूग्णता हो तथा 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों के पालकों को घर से कार्य करने प्रोत्साहित किया जावे।

j. आरोग्य सेतु एप्प का उपयोग करने सभी प्राईवेट एवं शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए।

k. समस्त संस्थाएं पालियों के मध्य अपने कार्यस्थलों के सैनिटाईजेशन की व्यवस्था करेंगे।

l. बड़ी बैठकें प्रतिबंधित होंगी।

विनिर्माण ईकाईयां :–

m. सार्वजनिक सतहों की बार–बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई के आदेश जारी किये जायें।

n. पालियों की ओवर–लैपिंग न हो तथा कैंटिन में सामाजिक दूरी के नियम के पालन में लंच के समय को आगे–पीछे रखा जाए।

o. अच्छे स्वच्छता की आदतों से भली–भांति परिचित कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान किया जायें।

ii- सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं, कार्यस्थल, कार्यालय इत्यादि द्वारा कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित मानक प्रक्रिया एसओपी अनुसार निम्न आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं–

1. निम्नलिखित स्थानों को सम्मिलित करते हुए परिसर के समस्त क्षेत्रों को पूर्णरूपेण उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण (User-Friendly) निःसंक्रामक (Disinfectant) उपयोग करते हुए संक्रमण रहित किया जाए –

a. भवन का प्रवेश द्वार कार्यालय इत्यादि
b. कैफेटेरियां एवं कैंटीन
c. बैठक कक्ष, सम्मेलन हाल/उपलब्ध खुली जगहें/बरामदा/जगह का प्रवेश द्वार/बंकर/पोर्ट/केबिन/भवन इत्यादि
d. उपकरण एवं लिफ्ट
e. वाशरूम, प्रसाधन, सिंक, पानी के स्थान इत्यादि
f. दीवारें तथा अन्य सतहें

2. बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिये सार्वजनिक यातायात के साधनों पर निर्भर ना रहते हुए परिवहन को विशेष व्यवस्था बनायी जाए। ऐसे वाहनों की यात्री क्षमता का 30–40 प्रतिशत उपयोगी की अनुमति दी जावें।

जिला दण्डाधिकारी 2020

Scanned with CamScanner

3. परिसर में प्रवेश करने सभी वाहनों एवं मशीनों को अनिवार्यतः स्प्रे कर सैनेटाईज किया जावे।
4. कार्यस्थल पर आने वाले तथा आने वाले सभी व्यक्तियों की अनिवार्य थर्मल स्कीनिंग की जावें।
5. सभी कामगारों का चिकित्सा बीमा कराया जाना अनिवार्य किया जाए।
6. हैण्डवाश एवं सैनेटाईजर, जो स्पर्शमुक्त प्रणाली मुक्त हो तो बेहतर, का प्रावधान समस्त आगम एवं निर्गम द्वारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर किया जाए। उपरोक्त वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करायी जावें।
7. कार्यस्थलों पर दो पालियों के मध्य 1 घंटे का समय अंतराल रखा जाए तथा सोशल डिस्टेंस के पालन के लिये भोजन अवकाश में भी समय अंतराल रखा जावें।
8. दस या अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने अथवा बैठकों को हतोत्साहित किया जावें। कार्यस्थल बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में बैठने के लिये कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखी जायें।
9. लिफ्ट इत्यादि में 2 से 4 (क्षमता के अनुसार) व्यक्तियों को चढ़ने की अनुमति दी जावें।
10. ऊपर चढ़ने के लिये सीढ़ियों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जावे।
11. गुटखा, तम्बाकू इत्यादि के उपयोग तथा थूकने पर सख्त प्रतिबंध होगा।
12. स्थल पर अनावश्यक आगंतुकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
13. आसपास के अस्पताल एवं क्लीनिक के जो कोविड 19 के उपचार के लिये अधिकृत हों को चिन्हित कर सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध करायी जाये।

iii- इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त अतिरिक्त गतिविधियां निर्देशों के अंतर्गत वांछित अनिवार्य आवश्यक तैयारी करने के उपरांत ही योजनाबद्ध ढंग से आरंभ की जाए। यह निर्देश/आदेश 20 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगे।

21. दाण्डिक प्रावधान –

इन लॉकडाउन आदेशों एवं निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

पूर्व मे अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉट्स एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होगे तथा उपरोक्त अतिरिक्त गतिविधियों करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में कदापि नही होगी।

इस आदेश की कंडिका 3 में उल्लेखित चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियों हेतु कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम हेतु भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश, निर्देशों एवं एडवाईजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन लॉकडाउन आदेशों एवं निर्देशो के उल्लंघन करने हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन

Scanned with CamScanner

अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

20/4/2020

जिला मजिस्ट्रेट
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

क्रमांक/ 4112 /एडीएम/2020 जांजगीर, दिनांक 20 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग.शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर क्षेत्र बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा की ओर पालनार्थ एवं कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करे।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चांपा की ओर सादर सूचनार्थ एवं पालनार्थ सम्प्रेषित।
8. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सभी उल्लेखित स्थानो पर मुनादी करावे।
9. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सभी उल्लेखित स्थानो पर मुनादी करावे।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. उप संचालक जन संपर्क, जांजगीर-चांपा को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
12. उपसंचालक पंचायत जिला जॉजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ/पालनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
13. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका /नगर पंचायत जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ /पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. सर्व ग्राम पंचायत जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

20/4/2020

जिला मजिस्ट्रेट
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner